



## ट्रिप्स समझौते के कुछ प्रावधानों की छूट पर भारत-दक्षिण अफ्रीका प्रस्ताव

नई दिल्ली। डब्ल्यूटीओ को कोविड19 की प्रभावी रोकथाम और उपचार के लिए सस्ती चिकित्सा उत्पादों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन से संबंधित कुछ प्रावधानों से छूट की मांग करते हुए, संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच, ने प्रधान मंत्री जी और माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल को बधाई दी है।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा है कि यह प्रस्ताव समय की आवश्यकता है, जहां मानवता को कोविड19 को प्रभावी ढंग से मात देने के लिए सस्ती चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच की आवश्यकता है। हालांकि टीके, चिकित्सीय, और डायग्नोस्टिक्स के विकास के लिए काफ़ी सार्वजनिक धन का प्रबंधन किया गया है, जो कंपनियां इन उत्पादों को विकसित कर रही हैं वे सामान्य उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए पेटेंट और अन्य आईपी अधिकारों को साझा करने के लिए तैयार नहीं हैं। बड़ी संख्या में निर्माताओं की अनुपस्थिति में, कोविड19 प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक चिकित्सा उत्पादों की जरूरतों को पूरा करना असंभव होगा। सरकार को दवा क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लाभ लोलुपता को खत्म करने के लिए काम करने की आवश्यकता है।

भारत ऐसे ही लालच का शिकार रहा है। प्रतियोगिता को नियंत्रित करने के लिए गलत तरीके से प्राप्त पेटेंट का उपयोग करके गिलियड साइंसेज नाम की कंपनी ने हालांकि भारतीय जेनेरिक कंपनियों को 7 स्वैच्छिक लाइसेंस दिए हैं, लेकिन कीमतों में कोई विशेष कमी नहीं आई है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि प्रति रेमेडिविर की लागत 1 अमरीकी डॉलर यानि 75 रुपये से कम है, जबकि भारतीय कीमतें 4000 रुपये से 5400 रुपये के बीच हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार इसके लिए प्राथमिक कारण है। इसके अलावा ऐसे लाइसेंस भारतीय कंपनियों को मध्यम-आय वाले देशों में आपूर्ति करने में भी बाधा उत्पन्न करते हैं।

कोविड19 से निपटने हेतु चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच की सुविधा के लिए विभिन्न पहलें अभी तक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन सुनिश्चित करने में विफल रहीं हैं। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा के बजाय एक्ट एक्सीलरेटर और कोवेक्स सुविधा बौद्धिक संपदा अधिकारों को और

अधिक पुष्ट करती है और प्रौद्योगिकी के प्रसार में देरी करती है।

स्वदेशी जागरण मंच आपको डब्ल्यूटीओ जनरल काउंसिल में इस हेतु प्रस्ताव को अपनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता है। इस उद्देश्य के लिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस प्रस्ताव के समर्थन के लिए सभी समान विचारधारा वाले देशों तक पहुंच बना कर, ट्रिप्स समझौते के कुछ प्रावधानों की छूट को अपनाने के लिए वैश्विक स्तर पर एक व्यापक गठबंधन बनाया जाए

स्वदेशी जागरण मंच ने प्रधान मंत्री से आग्रह किया है कि रेमेडिविर पर पेटेंट रद्द करने के लिए पेटेंट एक्ट की धारा 66 के तहत प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए।

डॉ. अश्वनी महाजन

राष्ट्रीय सह संयोजक

स्वदेशी जागरण मंच

“धर्मक्षेत्र, सेक्टर -8, आर.के. पुरम, नई दिल्ली

Ph☐ 011-26184595, वेब : [www.swadeshionline.in](http://www.swadeshionline.in)